राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1459/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता–चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स सिंह रोड़ कैरियर्स,
11355, ईदगाह रोड़, सराय खलील फ्लेट,
सिघांड़ा चौक के पास, नई दिल्ली हाल–जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 257/आरएसटी/एनआरडी/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होनें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, चतुर्थ, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2003 अन्तर्गत राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 61,496/– कर रूपये 24,598/– एवं अधिभार रूपये 3,690/– कुल मांग राशि 89,784/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2003 को वाहन संख्या आर.जे.14–2जी/0496 में परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेजात मांगने पर वाहन चालक/मालप्रभारी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर प्रथम दृष्टया सन्देह होने पर परिवहनित माल का नियमानुसार भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान दस्तावेजों में दर्ज माल से भिन्न कई प्रकार का प्लाईवुड/प्लाईबोर्ड व अधिक माल 634 नग वाहन में लदे पाये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को वास्ते माल सत्यापन माल प्रेषक एवं प्रेषिति नोटिस जारी किया गया साथ ही माल प्रेषक फर्म के पंजीयन क्रमांक की जांच कम्प्यूटर फ्लॉपी से करवायी गयी। कम्प्यूटर फ्लॉपी में माल प्रेषक फर्म के पंजीयन क्रमांक नहीं पाये गये। इन परिस्थितियों को देखते हुये सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर परिवहनित माल कीमतन रू0 204986/– पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति राशि रुपये 61,496/– तथा ट्रांसपोर्ट कम्पनी को राज्य में अपंजीकृत मान कर, कर राशि रूपये 24,598/– व अधिभार राशि रूपये 3,690/– कुल मांग रूपये 89,784/– आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने

लगातार 2

प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरूद्ध बताया तथा सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल राज्य बाहर दिल्ली से राज्य बाहर महाराष्ट्र के लिये परिवहनित किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के राज्य में उतारा जाना अथवा विक्रय किया जाना भी प्रमाणित नहीं किया गया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी पर शास्ति आरोपित करने से पूर्व विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जवाब/दस्तावेजात का अवलोकन विवेक से नहीं किया। परिवहनित माल राज्य बाहर दिल्ली से राज्य बाहर महाराष्ट्र के लिये परिवहनित किया जा रहा था। सशक्त अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि परिवहनित माल राज्य में कही उतारा अथवा विक्रय किया गया है, जिसको कि प्रमाणित करने का पूर्ण भार एवं दायित्व विभाग का है। अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत पारित आदेश स्पष्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है।

7. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.11.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष